संख्या-698/2023/4695/41-2023/001/C.N.1694803-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

विषयः जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य के समेकित पर्यटन विकास हेतु भू-स्वामियों एवं काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं0-4641/6-1-1/(1675)/2022-23, दिनांक 29.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि क्रय किये जाने हेतु अग्रिम किश्त/अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य के समेकित पर्यटन विकास हेतु भू-स्वामियों एवं काश्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर 31.3170 हे० भूमि क्रय हेतु शासनादेश सं0-523/2023/आई/356227/001-41-1002-001-30-2023, दिनांक 26.07.2023 द्वारा रू0 43.27,97,000 (रूपये तैतालीस करोड़ सत्ताइस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू० 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 700.00 लाख (रू० सात करोड़ मात्र) का व्यय की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य के समेकित पर्यटन विकास हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-45-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय-60- भूमि क्रय मद में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, सीतापुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 26.07.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मह प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विविधोवन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। आत किन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और विल्लीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्याप करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम कार का अनुमोदन प्राधा करने के पश्चात ही व्यप सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) विवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यप किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिशित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोटों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यप सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) कार्यदापी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु चिन्हित भूमि प्रतिकर निर्गत किये जाने की दृष्टिगत से नगरी क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की प्रास्थिति के अनुसार ही देय प्रतिकर की वास्तविक गणना के सम्बन्ध में पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित अधिकारी स्वंय संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे।

(11) प्रायोजना हेतु यदि नयी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर के माध्यम से अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के संगत शासनादेश की व्यवस्था अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

4- इस संबंध में होने जाला व्यय रुपये 15.00.00.000 (रुप पन्द्रह करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023- 24 के आप यक में अनुदान संखार्षक 5452801044500 विभित्र पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश क्ति (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय शाप संखा-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023 दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग की उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, लखनऊ भण्डल, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, सीतापुर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर ।
6. संबंधित उप निबन्धक, संबंधित तहसील/जनपद।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10 उप निदेशक, पर्यटन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन ।
12 वित्त आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2, उ०प्र० शासन ।
13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।